न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0 – 184 / 2022 तारीख रजु

जीसीएमएस आई0डी0:–2022 / 461

1. अंगूरी पत्नि रमेश उम्र 60 साल
2. रमेश पुत्र गणेशी उम्र 62 साल

} जाति–जाट, निवासी–चिनायटा, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली

——————सायलान——02

बनाम

1. प्रकाश पुत्र गणेशी उम्र 60 साल
2. बलवीर पुत्र गणेशी उम्र 55 साल
3. गुड्डी पत्नि बलवीर उम्र 53 साल
4. रोशन पुत्र गणेशी उम्र 70 साल
5. सोमोती पत्नि रोशन उम्र 58 साल

} जाति–जाट, निवासी–चिनायटा, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली, (राज0)

——————गैरसायलान——05

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री एस.एल. चौधरी वकील वादी
2. गैरसायलान के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 24-12-24

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है आराजीयात खसरा नं0 2998 रकवा 32 ऐयर, 3005 रकवा 46 ऐयर, 3007 रकवा 36 ऐयर, 3009 रकवा 21 ऐयर, 3010 रकवा 41 ऐयर, 3011 रकवा 46 ऐयर, 3012 रकवा 10 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 2.50 है0 स्थित गॉव खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली जिनमें सायला नं0 1 का हिस्सा 1/12 व सायल संख्या 2 का हिस्सा 1/16 है जो रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट है। बाकी हिस्सा पतिवादी संख्या 1 ता 11 (वादपत्र) के नाम है जो उनके मुताबिक हिस्सा रिकार्ड में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 (वादपत्र) के हक में कुछ खातेदारों ने अपना हिस्सा गिरवी रख रखा है। इसलिए प्रथम दृष्टया केस सायलान का बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजी सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें सायलान के हिस्से से गैरसायलान व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान ही अपने हिस्से की भूमि पर फसल दर फसल काश्त कर दरोह करते चले आ रहे हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नं0 3007 रकवा 36 ऐयर आबादी के नजदीक है इस कारण वेशकीमती भूमि है व गैरसायलान के मन में बदयान्ति है। इस कारण गैरसायलान जबरन लट्ठ के बल उक्त खसरा नं0 3007 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते हैं जबकि उक्त नम्बर में सायलान का हिस्सा है व मौके पर कब्जा भी है लेकिन गैरसायलान आये दिन सायलान को तंग व परेशान करने पर तुले हुए हैं व जबरन ताकत के बल से सायलान के हिस्से की भूमि को पक्का निर्माण कराकर कब्जा करने की फिराक में हैं व सायलान को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने की फिराक में है। सायलान के समझाने के बावजूद कानने को तैयार नहीं है।

घटना दिनांक 16.07.2022 को सुबह 9 बजे के आसपास की है कि गैरसायलान सायलान की कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3007 पर ट्रेक्टर लेकर आये व आते ही सायलान की भूमि में चांटी लगाने लगे। सायलान ने मना किया तो नहीं माने व झगडे पर उतारू हुये। सायलान ने गॉव के लोगों को इक्टठा किया व समझाने का प्रयास किया तो गैरसायलान बोले कि हम तो इस भूमि पर पक्का निर्माण करके जबरन कब्जा करेंगे। सायलान ने कहा कि भाईयों इस भूमि में हमारी खातेदारी है व मुताबिक हिस्सा पुराने समय से कब्जा काश्त है तो समस्त गैरसायलान नाराज हो गये व कहने लगे कि हम ऐसी खातेदारी व कब्जा को नहीं मानते हम तो अब इस भूमि को चांटी से प्लेन करके नींव खोदेंगे व पक्का निर्माण करके कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करेंगे व तुम्हारे हिस्से की भूमि से तुम्हें जबरन लट्ठ के बल बेदखल करके रहेंगे। सायलान के समझाने तथा गणमान्य लोगों से भी समझाने के बावजूद गैरसायलान अज खुद मानने को तैयार नहीं हैं। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी क्षति किसी प्रकार से भी संभव नहीं होगी।

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है बल्कि पाबंद न किये जाने से सायलान को अत्यधिक क्षति है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव [illegible] प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन पक्ष एवं क्षतिपूर्ति का बिन्दु पूरी तरह से सायलान के पक्ष में साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान को आराजी खसरा नं0

3007 रकवा 36 ऐयर स्थित गॉव खातीपुरा में सायल नं0 1 का 1/12 व सायल संख्या 2 का 1/16 हिस्सा की भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें कोई दखलन्दाजी नहीं करें। सायलान के कब्जे काश्त में कोई अवरोध नहीं डालें। सायलान के हिस्सा की भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर कोई पक्का निर्माण करके अवैध रूप से कृषि भूमि को अकृषि भूमि परिवर्तित नहीं करें व पक्का निर्माण नहीं करें। सायलान को जबरन बेदखल नहीं करें तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें नाहीं किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 4 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 25.10.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 65 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय वहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 65 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ खातेदारी सायलान व गैरसायल के नाम दर्ज रिकार्ड है पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित खसरा नं0 2998 रकवा 32 ऐयर, 3005 रकवा 46 ऐयर, 3007 रकवा 36 ऐयर, 3009 रकवा 21 ऐयर, 3010 रकवा 41 ऐयर, 3011 रकवा 46 ऐयर, 3012 रकवा 10 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 2.50 है0 स्थित गॉव खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति वनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस [illegible] केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बावत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण मे दिनांक 19.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 3007 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 24-12-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested